

कभी न खत्म होने वाली खुशी को पाने का कोई शार्ट कट नहीं होता।

- अज्ञात

समस्या को खत्म करने की कोशिश

भारत के बारे में रिपोर्ट कहती है कि यह आज भी वर्ल्ड ह्यूमन ट्रेफिकिंग के नक्शे पर एक अहम टिकाना बना हुआ है। इसके उलट अगर हम नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति लगातार बेहतर होती दिख रही है।

आरती जोशी।

पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी 'ट्रेफिकिंग इन पर्संस' रिपोर्ट-2020 भारत में मानव तस्करी को लेकर कुछ अहम तथ्यों की ओर ध्यान खींचती है। रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो भारत को पिछले साल की तरह इस बार भी टियर-2 श्रेणी में ही रखा गया है। आधार यह कि सरकार ने 2019 में इस बुराई को मिटाने की अपनी तरफ से कोशिश जरूर की लेकिन मानव तस्करी रोकने से जुड़े न्यूनतम मानक फिर भी हासिल नहीं किए जा सके।

ध्यान रहे, सरकारी कोशिशों के इसी पैमाने पर रिपोर्ट ने पाकिस्तान को पहले से एक दर्जा नीचे लाते हुए टियर-2 वॉच लिस्ट में रखा है, जबकि चीन को और भी नीचे टियर-3 में। रिपोर्ट के मुताबिक चीन

की सरकार अपनी तरफ से इस समस्या को खत्म करने की कोशिश भी नहीं कर रही। बहरहाल, भारत के बारे में रिपोर्ट कहती है कि यह आज भी वर्ल्ड ह्यूमन ट्रेफिकिंग के नक्शे पर एक अहम टिकाना बना हुआ है। इसके उलट अगर हम नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति लगातार बेहतर होती दिख रही है।

एनसीआरबी के मुताबिक साल 2016 में भारत में आईपीसी के तहत ह्यूमन ट्रेफिकिंग के 5217 मामले दर्ज किए गए थे। 2017 में यह संख्या घट कर 2,854 हो गई और इसके अगले साल यानी 2018 में और कम हो कर 1830 पर आ गई। दिक्कत यह है कि इन आंकड़ों से इस बात का पता नहीं चलता कि यह

बेहतर आखिर कैसे हासिल की जा रही है। यहीं हमारा सामना इस संदेह से होता है कि कहीं इसके पीछे यह कड़वी हकीकत तो नहीं कि किन्हीं कारणों से मानव तस्करी के मामले दर्ज ही कम हो पा रहे हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस संदेह को मजबूती देते हैं।

देश-विदेश के लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। श्रम शोषण और यौन शोषण की स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। बेशक, एक राज्य सरकार ने पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड जैसे चर्चित मामले में चुस्ती दिखाई, लेकिन मामला उजागर करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। भारत में कमजोर तबकों के शोषण को लेकर यहां की कानून-व्यवस्था की सक्रियता का अंदाजा

इस बात से मिलता है कि 1976 से अब तक सरकारी तौर पर करीब 3 लाख 13 हजार बंधुआ मजदूरों की ही पहचान हो पाई है जबकि इस काम में लगे स्वयंसेवी संगठनों के मुताबिक देश में ह्यूमन ट्रेफिकिंग के पीड़ितों की संख्या कम से कम 80 लाख है, जिनका बड़ा हिस्सा बंधुआ मजदूरों का है।

रिपोर्ट में मामले का एक और पहलू यह उभर कर आया है कि पुलिस अक्सर पीड़ितों के खिलाफ उन कार्यों में भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देती है, जो ट्रेफिकर उनसे जबरन करवाते हैं। इससे एक तरफ पीड़ितों के कानून-व्यवस्था की शरण में आने की संभावना कम होती है, दूसरी तरफ ट्रेफिकर्स का शिकंजा उन पर और कस जाता है।

ईश्वर सबके आधार

अशोक बोहरा। मेरे प्रभु के मेरे ऊपर अनन्त उपकार हैं। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते - करते दर्शन करें

घ परन्तु जिसके हृदय में भावना नहीं उसे तो मन्दिर में

परमात्मा दीखता नहीं, एक मुर्तिमात्र दिखती है। मन में ऐसा विचार करें - यह तो प्रत्येक मानव - शरीर में विराजे हुए हैं, सबमें विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके आधार हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं, ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता। अन्दर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं, सुनने की शक्ति, इन्द्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वर हैं।

जो भगवान मन्दिर में विराजते हैं, वही परमात्मा प्रत्येक मानव - शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इन्द्रियों को प्रकाशित करते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

स्मार्ट गांव चाहिए

मसला सुलझेगा गांव, खेती, पशुपालन, ग्रामीण हुनर और आधुनिक विकास के मेल से। मामला सुलझेगा बड़े प्रॉजेक्ट, बड़ी-बड़ी मशीनों, बड़े-बड़े शहरों के विकास की दिशा बदलने और स्मार्ट शहर की जगह स्मार्ट गांव बनाने से। यह काम बिना ज्यादा पूंजी के भी लोगों के श्रम, हुनर और स्थानीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन से संभव है। पैसों से ज्यादा बड़ी जरूरत है इच्छा शक्ति की, पर उसी का अभाव है। आज की केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में कोई भी इस दिशा में सोचता या करता हुआ नहीं लगता।

ऐसा भी नहीं कि उनको मोदी, योगी, नीतीश और सोनिया की हाल की बातों की परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि इन लोगों की परवाह से ज्यादा बड़ी चीज मजदूरों का आना और कामकाज शुरू करना है, वरना इस विकास की गाड़ी बैट जाएगी। मजदूरों का चाहे जितना अनादर हो, अर्थव्यवस्था की गाड़ी उनके बगैर नहीं चलने वाली। आप पूंजी के आगे चाहे जितना झुक जाओ या लेट जाओ, गाड़ी का दूसरा पहिया तो मजदूर ही हैं। जो लोग इस अवसर का लाभ लेकर एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मनरेगा जैसी योजनाओं से मजदूरों का पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ की मंशा अच्छी हो सकती है, पर ज्यादातर राजनीतिक रूप से चालाक लोग हैं। वे वोट की राजनीति कर रहे हैं, बिहार और फिर बंगाल के चुनाव पर नजर गड़ाए हैं।

सो स्वाभाविक है कि मजदूरों को वापस लाने वाली गाड़ियों और बसों में भीड़ उमड़ेगी और बड़ी-बड़ी कंपनियां चार्टर्ड प्लेन से ही सही, मजदूरों को वापस लाने का इंतजाम करेंगी।

आज दनादन चार्टर्ड फ्लाइट से मजदूरों को वापस लाने का खेल शुरू हो गया है। दो गुनी मजदूरी पर काम देने, गाड़ियां कैंसिल कराकर उन्हें रोकने, बड़े-बड़े वायदों से उनको लुभाने के प्रयास दिख रहे हैं।

भरोसा कहां है

अरविन्द मोहन।

श्रमिक स्पेशल का चलना बंद हो गया और इसे प्रवासी मजदूरों के 'रिवर्स माइग्रेशन' का औपचारिक अंत माना जा सकता है। ऐसे में इस कहानी को हमें भुलाना तो नहीं है, लेकिन यहां याद करने का भी कोई लाभ नहीं है कि यह रिवर्स माइग्रेशन अर्थात मजदूरों की घर वापसी कैसी और कितनी मुश्किलों से भरी थी। वैसे इस वापसी में एक कहानी बहुत चर्चित हुई कि दिल्ली के पास के एक मशरूम फार्म के मजदूरों को चार्टर्ड प्लेन से बिहार भेजा गया था। आज दनादन चार्टर्ड फ्लाइट से मजदूरों को वापस लाने का खेल शुरू हो गया है। दो गुनी मजदूरी पर काम देने, गाड़ियां कैंसिल कराकर उन्हें रोकने, बड़े-बड़े वायदों से उनको लुभाने के प्रयास दिख रहे हैं।

हालांकि अभी धान की रोपनी शुरू होने से मजदूरों को अपने गांव में ही काम उपलब्ध हैं। इसके अलावा अभी-अभी घर लौटे मजदूर कोरोना के चलते वापस लौटने में झिझक भी रहे हैं। साथ ही जिस सरकार ने लॉकडाउन घोषित करते समय प्रवासी मजदूरों को भुला दिया था, वही पचास हजार करोड़ रुपये की नई रोजगार योजना लेकर आई है और उसी ने मनरेगा का बजट भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह सवाल प्रमुख



हो गया है कि मजदूर वापस क्यों आ रहे हैं। जिनको इतना कष्ट हुआ, जो घर जाने के लिए इतने बेचैन थे, वे वापस क्यों आने लगे? तब यह सवाल था कि आखिर मजदूर शहरों को छोड़ अपने गांवों की ओर क्यों भागे। जितना आसान उस सवाल का जवाब था, उतना ही आसान इस सवाल का जवाब है। मजदूरों को आज भी सरकार, शासन व्यवस्था, इसके बनाए कायदे कानून और कथित समाज सेवी संस्थाओं से ज्यादा अपने गांव, परिवार और समाज पर भरोसा है। तभी वे सबसे गहरे संकट का अनुभव करने पर जान पर खेलकर गांव की तरफ भाग चले थे। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में, विकास के इस मॉडल में खेती, छोटी जोत, एकाध पशुओं को पालने या छोटे-छोटे काम वाले हुनर से जीवन चलाने के

लिए गांव पर्याप्त नहीं रह गए हैं। अध्ययन बताते हैं कि छोटी जोत और एकाध पशुओं को घर में ही साथ रखने वाली अर्थव्यवस्था आज चलने की स्थिति में नहीं है। इसी के चलते खेती, पशुपालन और ग्रामीण हस्तशिल्पों को छोड़कर शहरों की तरफ भागने वालों का रेला बढ़ता जा रहा है। कभी ट्रेफिक की लाल बत्ती पर गजरा और छोटी-छोटी चीजें बेचने वालों या करतब दिखा रहे उनके बच्चों से पूछिए तो पता लगेगा कि वे ज्यादातर बुनकर परिवारों से हैं, जिनका काम भूमंडलीकरण के दौर में चौपट हुआ है।

अब, उनके आने के कारण बहुत हैं लेकिन आज इस कोरोना काल के राहत पैकेज के जरिए सरकार इस महाप्रवृत्ति को रोकने के लिए जो कुछ कह और कर रही है, उसके बारे में यही कहना पर्याप्त है कि सरकार को न तो समस्या का अंदाजा है, न समाधान का और न उसके परिणाम का। यह ठीक उसी तरह का मामला है जैसे लॉकडाउन घोषित करते समय अंदाजा ही नहीं था कि देश में कुल कितने प्रवासी मजदूर हैं और उनका क्या होगा। अगर आज देश की बड़ी कंपनियां और समृद्ध प्रदेश मजदूरों को वापस लाने के अभियान में जुटे हैं, सभी पार्टियों के नेता मजदूरों को रोकने के समर्थक हैं (कर्नाटक में तो विपक्षी कांग्रेस पार्टी के लोग ही गाड़ियां रद्द कराने और मजदूरों को रोकने में आगे थे) तो वे सब बौराए हुए नहीं हैं।

सूटो कु नववाला-5397				****			
4	6	3	8	9	7		
1		9	6	5	4		
			8				
4	5			8			
2	5	4	6	1			
3			1	7			
	3						
5	9	7	2	6			
7	6	4	3	9	2		

अपना ब्लॉग पुनर्वास और रोजगार का सवाल

मोहन। जिनकी मंशा अच्छी है, वे भोले भंडारी ही कहे जाएंगे क्योंकि उनको न तो समस्या का अंदाजा है और न समाधान का। आज देश में चालीस करोड़ से ज्यादा लोग इंटर स्टेट माइग्रेशन वाले हैं, अर्थात अपने राज्य से बाहर गए हैं। इनमें शादी के चलते प्रदेश छोड़ने वाली लड़कियां, पढ़ाई के लिए निकले बच्चे/बच्चियां और अच्छी नौकरी व कारोबार वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ रोजगार, परिवार का पेट पालने और बाल-बच्चों का भरण-पोषण करने वाले भी पचीस करोड़ से कम नहीं हैं। जाहिर है, इनके पुनर्वास और रोजगार का जहां तक सवाल है तो न पचास हजार करोड़ की नई योजनाओं से काम चलेगा और न ही मनरेगा का बजट बढ़ाने से। ग्रामीण सड़क और परिवहन के काम में कुछ लोगों को कर्ज पर गाड़ियां दिला देने से भी यह मसला नहीं सुलझने वाला।

